निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 581) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 अप्रील 2016

सं0 22/नि0सि0(सम0)–02–01/2013/717—श्री रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बेगुसराय द्वारा प्रथम चरण के रधुनाथपुर करारी जमींदारी बॅाध के कि0 मी0–0.00 से 4.54 कि0 मी0 तक कराए गए उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतिम विपत्र भुगतान के पूर्व उड़नदस्ता से जॅाच करायी गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्राक्कलित राशि का मात्र 58 प्रतिशत कार्य ही एकरारनामा के निर्धारित अवधि में कराया जा सका। अवशेष मिट्टी कार्य शीर्ष भार Head load में उपलब्ध न होने के कारण सम्पन्न नहीं कराया जा सका। अतः इस मद में व्यय की गई राशि अनुपयोगी व्यय की श्रेणी में आएगी। स्पष्टतः प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी के स्तर पर दूरदर्शिता का अभाव परिलक्षित होता है जिस कारण इस प्रकार की अनुपयोगी व्यय जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उक्त अनुपयोगी व्यय के लिए आपको जिम्मेवार मानते हुए विभागीय पत्रांक 981 दिनांक 22.07.14 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया। तदुपरान्त आपके द्वारा विभाग को समर्पित बचाव बयान में निम्न बाते कही गईः–

रधुनाथपुर करारी जमींदारी बॅाध के 0.00 से 4.6 कि0 मी0 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनेटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 2365 दिनांक 23.10.07 में जमींदारी बॅाधों के निर्माण के संबंध में जारी दिया निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया था। प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व उच्चाधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण के दौरान बॅाध के अगल बगल मिट्टी की उपलब्धता को देखते हुए प्राक्कलन में मिट्टी ढुलाई का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन प्राक्कलन में फसल क्षतिपूर्ति की मुआवजा का प्रावधान किया गया था। प्राक्कलन तैयार करने का मूल उद्देश्य बेगुसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखण्ड के रधुनाथपुर करारी, हीरा टोला, रहुआ एवं चिरैया आदि ग्रामों के लगभग 553.28 एकड़ भूमि के साथ साथ उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की बाढ़ से सुरक्षा करना था। साथ ही साथ यह जमींदारी बॅाध एन0 एच0–31 को उमेशनगर रेलवे स्टेशन से जोड़ने का एक मात्र साधन भी है। कार्य स्थल पर भूस्वामियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्य तत्काल 58 प्रतिशत ही पूर्ण कराया जा सका। ग्रामीणें द्वारा बताया गया कि 2'0'' मिट्टी के नीचे खेत में बालू है, अतः 2'0'' मिट्टी काटने पर खेत उपजाउ नहीं रह जाएगा। जमींदारी बॅाध पर 269.92 लाख रूपये प्राक्कलित राशि के विरूद्व पी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण कराया गया है। कार्य की अंतिम विपत्र की राशि में पूर्व में भुगतान की गई

राशि से 148002/– रूपये की कमी के कारण वाहनों के आवागमन एवं चार वर्षो के बरसात में मिट्टी का क्षरण होना माना जा सकता है।

आपसे प्राप्त बचाव बयान की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

रधुनाथपुर करारी जमींदारी बॉध के 0.00 से 4.54 कि0मी0 तक पी0 सी0 सड़क के निर्माण के लिए 269.91 लाख रूपये के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति दी गई। इसका शिलान्यास 02.12.12 को किया गया है। आरोपित पदाधिकारियों के बचाव बयान के अनुसार पी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इस तरह बॉध का सदुपयोग किया जा रहा है। फिर भी बाढ़ से बचाव के लिए बने जमींदारी बॉध का अधिक सदुपयोग होता अगर यांत्रिक साधन से मिट्टी ढुलाई का पुनरक्षित प्राक्कलन स्वीकृत करवाकर इस कार्य को पूरा करा लिया जाता। संचिका में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि मिट्टी उपलब्ध नहीं होने के बाद यांत्रिक साधन से मिट्टी ढुलाई कर जमींदारी बॉध बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा विचलन की स्वीकृति देकर जमींदारी बॉध का पूर्ण निर्माण कराया जाना संभव होता एवं बॉध का पूर्ण सदुपयोग होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं सभी कनीय अभियन्ता में दूरदर्शिता का अभाव परिलक्षित होता है जिसके फलस्वरूप अनुपयोगी व्यय की स्थिति उत्पन्न हुई एवं जिसके लिए आप दोषी पाये गये है।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियत्रण प्रमण्डल, बेगुसराय को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गयाः–

(1)'देय तिथि से प्रोन्नति पर दो वर्ष तक रोक।

(2) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड।

उक्त के आलोक में श्री रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियत्रण प्रमण्डल, बेगुसराय को उक्त दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 581-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in